दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय तिथि:-8 दिसंबर, 2023

सि.अ. (वाणि.बौ.सं.अनु-व्या.चि.) 139/2021

राल्सन इंडिया लिमिटेड ..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री लक्ष्मी मेनम के साथ सुश्री ज़ेबा तरन्नुम खान. अधिवक्तागण (मो. 9818558690)

बनाम

शामलाल मेसर्स रमेश लाल एंड संस और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री उमेश मिश्रा और श्री अमित कुमार, प्र-1 के लिए अधिवक्तागण (मो. 9868401295) श्री हरीश वैद्यनाथन शंकर, के.स.स्था.अधि.श्री श्रीश कुमार मिश्रा के साथ, श्री सिकंदर मथाई पाइकाडे और श्री कृष्णन वी, अधिवक्तागण

कोरम: न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह

निर्णय

न्या. प्रतिभा एम. सिंह

1. यह सुनवाई हाइब्रिड मोड के जरिए की गई है।

2. वर्तमान अपील में, अपीलकर्ता-मेसर्स राल्सन (इंडिया) लिमिटेड व्यापार चिह्न रजिस्ट्री द्वारा अपीलकर्ता द्वारा दायर विरोध को खारिज करने के 26 अप्रैल, 2018 के आदेश से व्यथित है।

3. प्रत्यर्थी सं. 1 – शामलाल ट्रेडिंग मेसर्स रमेश लाल एंड संस के माध्यम से व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के तहत वर्ग 35 में "R RALSON' सं. 2054209 के पंजीकरण के लिए एक आवेदन दायर किया। उक्त चिह्न को व्यापार चिह्न जर्नल संख्या 1736 दिनांक 14 मार्च, 2016 में विज्ञापित किया गया था, जिसका उद्धरण नीचे दिया गया है:

Trade Marks Journal No: 1736 , 14/03/2016 Class 35

2054209 16/11/2010

SHAM LAL

trading as ;RAMESH LAL & SONS

DR. GUJJAR MALL ROAD, LUDHIANA - 141008, PUNJAB

SERVICES

Used Since :01/04/1973

DELHI

ADVERTISING, OFFICES FUNCTIONS, TRADING, MARKETING AND EXPORT OF INDUSTRIAL AND DOMESTIC SEWING MACHINES INCLUDING OVER LOCK MACHINES AND PARTS THEREOF, MACHINE STANDS AND NEEDLES.

4. अपीलकर्ता टायर, ट्यूब और साइकिल, रिक्शा और ऑटो वाहनों के लिए भागों और सहायक उपकरण के लिए 'RALSON' चिह्न को पहला अपनाने वाला

होने का दावा करता है। अपीलकर्ता पंजीकरण के लिए उपरोक्त आवेदन से व्यथित था और तदनुसार उसने 8 मार्च, 2017 को विपक्ष संख्या डीईएल.-850180 के माध्यम से इसका विरोध किया। उक्त विरोध को 26 अप्रैल, 2018 के आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

5. प्रत्यर्थी सं.2- व्यापार चिह्न के डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा विपक्ष की बर्खास्तगी विपक्ष के समर्थन में साक्ष्य दाखिल न करने के आधार पर थी। उक्त आदेश निम्नानुसार है: -

> *"उपरोक्त आवेदक द्वारा आवेदित व्यापार चिह्न के पंजीकरण का विरोध करने के लिए उपरोक्त नामित प्रतिद्वंद्वी द्वारा व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 21 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी और जबकि आवेदक द्वारा प्रति-कथन दायर किया गया था और उसे विवादी को 2300311 दिनांक 15-11-2017 के तहत तामील किया गया था और जबकि नियमों के तहत निर्धारित समय के भीतर, न तो विरोध के समर्थन में कोई सबूत दायर किया गया था और न ही विवादी की ओर से इस आशय का कोई बयान प्रस्तुत किया गया था कि विवादी सबूत पेश करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन विरोध के नोटिस में उल्लिखित तथ्यों पर भरोसा करना चाहता है, इसलिए उपर्युक्त विरोध को व्यापार चिह्न नियम 2017 के नियम 45 (2) के तहत छोड़ दिया गया माना जाता है।*
>
> *एतद्द्वारा यह आगे आदेश दिया जाता है कि इन कार्यवाहियों की लागत को लेकर कोई आदेश नहीं होगा।*

6. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रति-कथन,6. सेवा के लिए पते पर प्राप्त नहीं हुआ था और इसलिए, अपीलकर्ता साक्ष्य दर्ज नहीं कर सका। वह *सि.अ.(**वाणि.बौ.सं.अनु-व्या.चि.**)69/2022* में समन्वय पीठ के निर्णय पर भरोसा करती है, जिसका शीर्षक ***मेसर्स मेक्स स्विचगियर्स प्राइवेट लिमिटेड 9वें किलोमीटर, मेक्स एस्टेट, पठानकोट रोड, जालंधर बनाम विक्रम सूरी ट्रेडिंग एज मेसर्स आर्मेक्स ऑटो इंडस्ट्रीज*** है। उक्त निर्णय में न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:-

> *" 7. व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 143 में कहा गया है कि सेवा के लिए एक पता, एक आवेदन या विपक्ष की सूचना में कहा गया है, उक्त आवेदन या विरोध की सूचना के प्रयोजनों के लिए, आवेदक या प्रतिद्वंद्वी का पता माना जाएगा और दस्तावेजों को छोड़कर आवेदन या विरोध की सूचना के संबंध में सभी दस्तावेजों की सेवा की अनुमति देता है, या उन्हें डाक द्वारा भेजना, उक्त पते पर जैसा कि आवेदन या विरोध की सूचना में प्रदान किया गया है।*
>
> *8. **इस घटना में यदि किसी आवेदक या विरोधी के द्वारा नोटिस के विरोध में ई-मेल आईडी प्रदान की जाती है तो मुझे नहीं लगता कि इस बात पर किसी भी तरह का संदेह होना चाहिए कि आवेदन से संबंधित दस्तावेजों की तामील या उक्त ई-मेल आईडी पर विरोध की सूचना व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 143 के अर्थ के भीतर सेवा के रूप में पर्याप्त होगी। ऐसा इसलिए है, क्योंकि आवेदन या विरोध के नोटिस में अपनी ई-मेल आईडी प्रदान करके, आवेदक या विरोधी को स्पष्ट रूप से उक्त ईमेल आईडी पर उसे संबोधित किए जाने वाले संचार के लिए सहमत है।***

रजिस्ट्रार को यह संदेश स्पष्ट रूप से दिया गया है कि उक्त ई-मेल आईडी पर भी सेवा प्रदान की जा सकती है। धारा 143 में प्रयुक्त शब्द "उन्हें यहीं छोड़ना" को, मेरे विचार से, ई-मेल द्वारा सेवा को कवर करने के लिए पर्याप्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए, जहां आवेदक या विरोधी आवेदन या विरोध के नोटिस में ई-मेल आईडी प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, यदि आवेदक या विरोधी आवेदन या विरोध की सूचना में एक ई-मेल आईडी प्रदान करता है, तो यह आवेदक/विरोध के लिए यह तर्क देने के लिए प्रस्तुत नहीं होगा कि, हालांकि आवेदन से संबंधित दस्तावेज या विरोध की सूचना उक्त ईमेल आईडी पर ई-मेल द्वारा भेजी गई थी, वहां, फिर भी, व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 143 के अर्थ के भीतर कोई सेवा नहीं थी।

9. वर्तमान मामले में, हालांकि, यह विवाद में नहीं है कि अपीलकर्ता द्वारा विरोध के नोटिस में कोई ई-मेल आईडी प्रदान नहीं की गई थी। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि ई-मेल आईडी, जिस पर रजिस्ट्री द्वारा दस्तावेज भेजे गए थे, व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 143 के अर्थ के भीतर "सेवा के लिए पता" का गठन करता है। व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री को ई-मेल द्वारा दस्तावेजों की तामील करने की स्वतंत्रता केवल तभी है जब उस पक्ष को तामील किया जा रहा है जिसने आवेदन या विरोध की सूचना में ई-मेल आईडी प्रदान की है। जहां ऐसी कोई ईमेल आईडी प्रदान नहीं की गई है, ईमेल द्वारा दस्तावेजों को भेजना, भले ही वह वास्तव में संबंधित पक्षकार के ई-मेल आईडी पर भेजा गया हो, व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 143 के अर्थ के भीतर दस्तावेजों की सेवा का गठन नहीं करेगा।

7 . दूसरी ओर, प्रत्यर्थी सं.1 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने उक्त फॉर्म में स्पष्ट रूप से ईमेल पता देते हुए फॉर्म टीएम-एम दायर किया है। वह व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 की धारा 145 का भी संदर्भ देते हैं जो एजेंसी के कार्यक्षेत्र को परिभाषित करती है जो आवेदक द्वारा नियुक्त अभिकर्ता को दी जाती है। व्यापार चिह्न नियम, 2017 के नियम 17 से 19 के साथ पठित उक्त धारा को अधिवक्ता द्वारा यह तर्क देने के लिए संदर्भित किया गया था कि एक बार जब अभिकर्ता ईमेल पते के साथ टीएम-एम फॉर्म में सेवा के लिए एक पता दाखिल करता है, तो उक्त ईमेल पते को सभी संचारों के लिए सेवा का पता माना जाना चाहिए।

8 . वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता द्वारा फॉर्म टीएम-एम दायर किया गया था जिसमें मामले के अभिकर्ता/अटॉर्नी के विवरण के रूप में निम्नलिखित दिया गया था: -

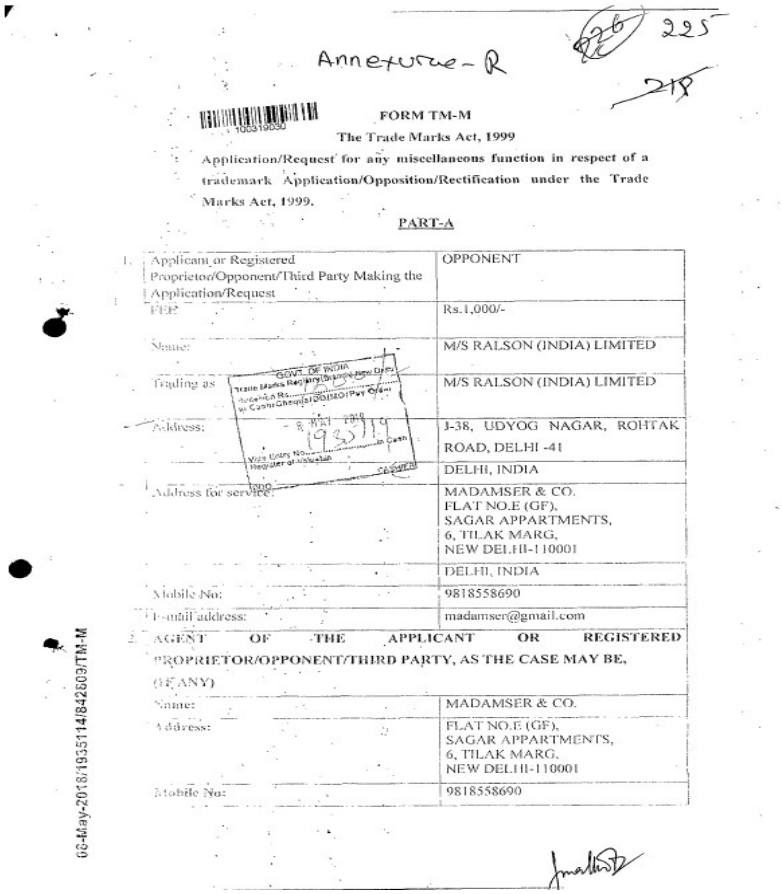

Annexure-R

225

218

06-May-2018/1935114/842609/TM-M

FORM TM-M

The Trade Marks Act, 1999

Application/Request for any miscellaneous function in respect of a trademark Application/Opposition/Rectification under the Trade Marks Act, 1999.

PART-A

1. Applicant or Registered Proprietor/Opponent/Third Party Making the Application/Request	OPPONENT
FEE	Rs.1,000/-
Name:	M/S RALSON (INDIA) LIMITED
Trading as	M/S RALSON (INDIA) LIMITED
Address:	J-38, UDYOG NAGAR, ROHTAK ROAD, DELHI -41
	DELHI, INDIA
Address for service:	MADAMSER & CO. FLAT NO.E (GF), SAGAR APPARTMENTS, 6, TILAK MARG, NEW DELHI-110001
	DELHI, INDIA
Mobile No:	9818558690
E-mail address:	madamser@gmail.com
2. AGENT OF THE APPLICANT OR REGISTERED PROPRIETOR/OPPONENT/THIRD PARTY, AS THE CASE MAY BE, (IF ANY)	
Name:	MADAMSER & CO.
Address:	FLAT NO.E (GF), SAGAR APPARTMENTS, 6, TILAK MARG, NEW DELHI-110001
Mobile No:	9818558690

9. व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 की धारा 145 निम्नानुसार पठित है-

"145. अभिकर्ता

जहां, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन, शपथ पत्र बनाने से भिन्न कोई कार्य, किसी व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रार के समक्ष किया जाना अपेक्षित है वहां वह अधिनियम, इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, उस व्यक्ति द्वारा स्वयं के स्थान पर, विहित रीति से सम्यक प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, जो है-

(क) एक विधि प्रशिक्षु, या

(ख) निर्धारित तरीके से पंजीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्ता, या

(ग) एकमात्र और नियमित रोजगार में एक मुख्य व्यक्ति

10. व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 145 को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अभिकर्ता आवेदक की ओर से कार्य करता है और आवेदक के लिए और उसकी ओर से कोई भी कार्य अभिकर्ता द्वारा किया जा सकता है। तदनुसार, रजिस्ट्रार के समक्ष किए जाने वाले सभी कार्य आवेदक के बजाय अभिकर्ता के पते पर भी किए जा सकते हैं।

11. व्यापार चिह्न नियम, 2017 के नियम 17 से 19 निम्नानुसार हैं: –

> *"17. सेवा हेतु पता- (1) **अधिनियम या नियमों के अधीन किसी कार्यवाही में प्रत्येक आवेदक या विरोधी या कोई व्यक्ति रजिस्ट्रार को भारत में सेवा के लिए एक पता प्रस्तुत करेगा जिसमें भारत में डाक पता और एक वैध ई-मेल पता होगा और ऐसा पता ऐसे आवेदक या प्रतिद्वंद्वी या व्यक्ति की सेवा के पते के रूप में माना जाएगा**:*
>
> *बशर्ते कि एक व्यापार चिह्न अभिकर्ता को भारत में पंजीकृत मोबाइल नंबर प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा।*
>
> *(2) भारत में सेवा के लिए किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए पते पर पूर्वोक्त के रूप में किसी व्यक्ति को संबोधित किसी भी लिखित संचार को ठीक से संबोधित किया जाएगा।*
>
> *(3) जब तक उप-नियम (1) में अपेक्षित भारत में सेवा के लिए कोई पता नहीं दिया जाता है, तब तक रजिस्ट्रार किसी भी नोटिस को भेजने के लिए बाध्य नहीं होगा जो अधिनियम या नियमों द्वारा अपेक्षित हो सकता है और कार्यवाही में कोई बाद का आदेश या निर्णय नोटिस की कमी या गैर-सेवा के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।*
>
> *18. रजिस्ट्रार द्वारा दस्तावेजों की तामील (1) आवेदन या विरोध मामले या पंजीकृत व्यापार चिह्न के संबंध में सभी संचार*

और दस्तावेजों को रजिस्ट्रार द्वारा उन्हें छोड़कर, या उन्हें संबंधित पक्षकार की सेवा के लिए या ईमेल संचार द्वारा डाक द्वारा भेजकर तामील किया जा सकता है।

*(2) **इस प्रकार भेजे गए किसी भी संचार या दस्तावेज को उस समय तामील किया गया माना जाएगा, जब उसी वाले पत्र को डाक के सामान्य पाठ्यक्रम में या ईमेल भेजने के समय वितरित किया जाएगा**।*

*(3) **ऐसी सेवा को साबित करने के लिए, यह साबित करने के लिए पर्याप्त होगा कि पत्र को ठीक से संबोधित किया गया था और पोस्ट में डाल दिया गया था या ईमेल संचार संबंधित पक्ष द्वारा प्रदान की गई ईमेल आईडी पर भेजा गया था**।*

19. अभिकर्ता - (1) धारा 145 के प्रयोजन के लिए एक अभिकर्ता के प्राधिकरण को फॉर्म टीएम-एम में निष्पादित किया जाएगा।

(2) इस तरह के प्राधिकरण के मामले में, कार्यवाही या मामले से संबंधित किसी भी दस्तावेज के अभिकर्ता पर सेवा को उस व्यक्ति पर सेवा माना जाएगा जो उसे अधिकृत करता है; कार्यवाही या मामले के संबंध में ऐसे व्यक्ति को किए जाने वाले सभी संचार ऐसे अभिकर्ता को संबोधित किए जा सकते हैं, और रजिस्ट्रार के समक्ष सभी उपस्थिति ऐसे अभिकर्ता द्वारा या उसके माध्यम से की जा सकती है।

(3) किसी विशेष मामले में, रजिस्ट्रार को आवेदक, प्रतिद्वंद्वी, मालिक, पंजीकृत उपयोगकर्ता या अन्य व्यक्ति के व्यक्तिगत हस्ताक्षर या उपस्थिति की आवश्यकता हो सकती है।

(4) अभिकर्ता द्वारा कार्यवाही से वापस लेने या किसी भी कार्य को करने से जिसके लिए उसे अधिकृत किया गया है, एक आवेदन या विरोध के संबंध में, जिसमें भारत में व्यवसाय का कोई सिद्धांत स्थान नहीं बताया गया है, आवेदक या प्रतिद्वंद्वी, ऐसी वापसी की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर, भारत में सेवा के लिए एक पता प्रदान करेगा। यदि वह ऐसी अवधि के भीतर भारत में सेवा के लिए पता प्रदान करने में विफल रहता है, तो उसे आवेदन या विरोध को छोड़ दिया गया माना जाएगा, जैसा भी मामला हो।

(5) किसी आवेदन या विरोध के संबंध में आवेदक या विरोधी द्वारा प्राधिकरण के निरसन के मामले में, जिसमें भारत में व्यवसाय का कोई मुख्य स्थान नहीं बताया गया है, आवेदक या विरोधी, जैसा भी मामला हो, ऐसे निरसन से दो महीने की अवधि के भीतर भारत में तामील के लिए पता प्रदान करेगा। यदि वह ऐसी अवधि के भीतर भारत में तामील के लिए पता प्रदान करने में विफल रहता है, तो उसे आवेदन या विरोध को त्यागने वाला माना जाएगा, जैसा भी मामला हो।

12. उपर्युक्त नियमों के अवलोकन से पता चलता है कि सेवा के पते में एक वैध ई-मेल पता शामिल होगा और ई-मेल संचार के माध्यम से सेवा को आवेदक पर ही सेवा माना जाएगा।

13. अब यह बहुत अच्छी तरह से तय हो गया है कि न्यायालय की दलीलें और दस्तावेज ईमेल के माध्यम से किए जा सकते हैं। यह लगभग सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में मान्यता प्राप्त है। उदाहरण के तौर पर, यहां तक कि दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियम, 2018 के अध्याय VI के

अनुसार, नोटिस की सेवा के विभिन्न तरीके जिनमें स्पष्ट रूप से ई-मेल के माध्यम से नोटिस / सेवा जारी करना शामिल है। नियम नीचे दिया गया है:

> *"1. नोटिस सेवा*
>
> *(ए) (ए) संहिता के आदेश V नियम 10 में निहित किसी बात के बावजूद, न्यायालय पहली बार में, पंजीकृत डाक द्वारा सम्मन जारी कर सकता है*
> *(देय पावती)* ***<u>या प्राधिकृत कूरियर द्वारा या फैक्स या इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा, एसएमएस या किसी अन्य वेब आधारित या आभासी संचार मोड द्वारा</u>*** *या वादी को सामान्य तरीके के अलावा; सम्मन की तामील करने की अनुमति देना। न्यायालय सेवा के सभी तरीकों द्वारा एक साथ या सेवा के किसी भी तरीके के किसी भी संयोजन में सम्मन की तामील का निर्देश दे सकता है। **<u>इस प्रयोजन के लिए, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ई-मेल पता और फैक्स नंबर, या तो पक्ष की वेबसाइट पर या सार्वजनिक क्षेत्र / रिकॉर्ड में क्रमशः सही ई-मेल पता और फैक्स नंबर माना जाएगा</u>।***

इस प्रकार, एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में, ईमेल सेवा तब तक अच्छी सेवा है जब तक कि उक्त ईमेल पता सही है जैसा कि पक्षकारों द्वारा दायर फॉर्म और दलीलों में परिलक्षित होता है।

14. ***मेसर्स मेक्स स्विचगियर्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वोक्त)*** *का निर्णय* इस आधार पर अलग है कि उक्त मामले में यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त मामले में ईमेल पता बताते हुए फॉर्म टीएम-एम दिया गया था या नहीं। इसके अलावा,

उक्त निर्णय में भी पैराग्राफ 8 में की गई टिप्पणी स्पष्ट है कि ई-मेल आईडी प्रदान किए जाने की स्थिति में, उक्त ई-मेल आईडी पर सेवा व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 143 के तहत सेवा के लिए पते के रूप में पर्याप्त होगी

15. उपरोक्त कानूनी स्थिति के मद्देनजर, इस न्यायालय की राय है कि अपील किसी भी योग्यता से परे है।

16. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि उन्हें प्रत्यर्थी संख्या 1 यानी 'आरआरएलसन - 2054209' के व्यापार चिह्न के खिलाफ रद्दीकरण याचिका दायर करने की अनुमति दी जा सकती है और उक्त आदेश को इसमें बाधा नहीं बनना चाहिए।

17. उक्त चिह्न की स्थिति वेबसाइट पर पंजीकृत के रूप में परिलक्षित होती है और इसे 16 नवंबर, 2030 तक नवीनीकृत भी किया जाता है। तदनुसार, अपीलकर्ता को रद्दीकरण याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी जाती है। गुण-दोष के आधार पर विरोध के आधारों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है और कोई राय नहीं दी गई है।

18. अपील को बिना किसी लागत के आदेश के खारिज किया जाता है। सभी लंबित आवेदनों का भी निपटारा किया जाता है।

प्रतिभा एम. सिंह
न्यायाधीश

08 दिसम्बर 2023
श्री/बीएच

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*